



प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2026

विषय:- जनपद-कुशीनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड-फाजिलनगर के परिसर में अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद-कुशीनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड-फाजिलनगर के परिसर में अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कुशीनगर कोकार्यदायी संस्था नामित करते हुए आपके पत्रांक-1173/मु0प्रा0प0/एतसप/सामु0वि0/2025-26, दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से प्राप्त प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रु0462.20 लाख (रुपये चार करोड़ बासठ लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में धनराशिरु0154.00 लाख (रुपये एक करोड़ चौवनलाखमात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (3) निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे। निर्माण के समय मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (4) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, 30प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

- (5) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।
- (6) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।
- (7) आयुक्त, ग्राम्य विकास, सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज परियोजनाओं की सूचना प्रत्येक माह अद्यतन किया जाय।
- (8) कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस शासनादेश का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।
- (9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अर्जित किया जाना प्रस्तावित है।
- (10) स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था को दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
- (11) उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत लागत से निर्धारित समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पीओएलओ/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद/कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।
- (14) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
- (15) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।
- (16) धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (17) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (18) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (19) परियोजना में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम -04/2017, दिनांक 21-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 06-2017 में दिये गये दिशानिर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (20) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टताएँ एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित किया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र० लखनऊ तथा सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।
- (21) परियोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (22) प्रस्तावित धनराशि निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल रेट से करायी जायेगी।
- (23) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित सीमा तक ही समस्त कर लिया जायेगा तथा संबंधित को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (24) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2026/ए-2-आई/1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02.01.2026 के क्रम में TPQA हेतु 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र०/ संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/ कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना के निर्माण कार्य कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
- (25) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
- (26) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (27) प्रायोजना में कन्टीजेन्सी मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
- (28) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र०/ संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराते हुए प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील/गिट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (29) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं०-5/2021/File No65-2013/2/2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र०/ संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (30) प्रायोजना के अन्तर्गत A.C. WITH STEPLIZER & D. G. SET का प्रावधान किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त की जायेंगी। आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र०/ संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (31) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु ₹0 5.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र०/ संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू०पी०पी०सी०एल० से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय। वाह्यविद्युत संयोजन हेतु प्रभाग द्वारा आंकलित धनराशि तथा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार वास्तविक धनराशि में अन्तर होने की स्थिति में प्रायोजना को पुनः प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग में परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- (32) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /आयुक्त, ग्राम्य विकास उ०प्र०/ संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी का होगा।
- (33) प्रायोजना में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
- (34) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रावधानों को यथा मानते हुये प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि प्रशासकीय विभाग के सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,54,00,000 (रुपये एक करोड़ चौवन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 4059010510300** जिला विकास कार्यालय तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना)(नये कार्य) **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

संख्या-32/2026/1-1258673/2026/सा०-532/38-2-2025तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ०प्र०,प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ०प्र०,लखनऊ/प्रयागराज।
- 3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर।
- 7- कोषाधिकारी, कुशीनगर।
- 8- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुशीनगर।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
- 10- अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कुशीनगर।
- 11- ग्राम्य विकास अनुभाग-5/8
- 12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।